

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर

क्रमांक एफ-4 / (12)मु0 / वित्त / कर / सेवाकर / 2015 / 10090 दिनांक 9/11/15

मुख्य प्रबन्धक

राजस्थान परिवहन निगम

विषय:-सेवा कर विभाग द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सेवाकर विभाग द्वारा अनुबन्धित बसों ( Hired Buses ) अनुबन्धित टैक्सी ( Hired Taxies ) तथा विधिक शुल्क ( Legal Charges ) की मद में वर्ष 2014-15 में किये गये भुगतान राशि तथा सेवा कर जमा चालान संख्या की सूचना चाही गयी है । अतः वांछित सूचना निम्नांकित प्रारूप में अविलम्ब मुख्यालय में उपलब्ध करावें । यदि सेवाकर का भुगतान नहीं किया गया है तो उक्त मदों की मूल राशि का मासिक विवरण उपलब्ध कराते हुए, सेवाकर जमा नहीं होने के कारण का उल्लेख कराते हुए सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावे ताकि सेवाकर विभाग में प्रस्तुत की जा सकें ।

अवधि 2014-15

मद- अनुबन्धित बसों ( Hired Buses ) पर सेवाकर का भुगतान

क. स.	माह	मूल राशि	सेवाकर की दर	सेवाकर	शिक्षा अधिभार		सेवा कर की कुल जमा राशि	पूर्ण चालान संख्या एवं दिनांक
					2 प्रतिशत	1 प्रतिशत		

मद - अनुबन्धित टैक्सी ( Hired Taxies ) पर सेवाकर का भुगतान

क. स.	माह	मूल राशि	सेवाकर की दर	सेवाकर	शिक्षा अधिभार		सेवा कर की कुल जमा राशि	पूर्ण चालान संख्या एवं दिनांक
					2 प्रतिशत	1 प्रतिशत		

मद - विधिक शुल्क ( Legal Charges ) पर सेवाकर का भुगतान

क. स.	माह	मूल राशि	सेवाकर की दर	सेवाकर	शिक्षा अधिभार		सेवा कर की कुल जमा राशि	पूर्ण चालान संख्या एवं दिनांक
					2 प्रतिशत	1 प्रतिशत		

साथ ही लेख है कि इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 5113 दिनांक 30.07.2015, 8647, 8648 दिनांक 26.8.2015, 9288 दिनांक 30.9.2015 तथा 9446 दिनांक 8.10.2015 के अन्तर्गत चाही गई सूचना भी अभी तक अप्राप्त है । अतः उक्त बकाया सूचना भी अविलम्ब उपलब्ध कराने का श्रम करावें ।

महा प्रबन्धक (वित्त-कर)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर

क्रमांक:-एफ-4/12/मु/वित्त/कर/सेवाकर/2015/

दिनांक

10-11-15

11009

कार्यकारी निदेशक ( प्रशासन/यातायात/यांत्रिक)

अधिकाधी अभियन्ता (निर्माण)

महा प्रबन्धक ( )

मुख्य उत्पादन/निष्पादन प्रबन्धक

लेखाधिकारी

कार्यकारी प्रबन्धक

मुख्य प्रबन्धक

प्रबन्धक (वित्त)

राजस्थान परिवहन निगम

विषय:-सेवाकर के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्वच्छ भारत सेंस के सम्बन्ध में राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 22/2015-सेवाकर दिनांक 06.11.2015 की प्रति सुलभ संदर्भ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

महा प्रबन्धक (वित्त-कर)

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 22/2015- सेवा कर

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. (अ) - वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) और वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की धारा 119 की उपधारा (5) के साथ पठित, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 119 की उपधारा (2) के अधीन लगने वाले उतने स्वच्छ भारत सेस जो कि कर योग्य सेवा के कीमत पर संगणित 0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत सेस से अधिक है, से छूट देती है:

अर्थात् यह स्वच्छ भारत सेस उन सेवाओं पर नहीं लगेगा जो कि वित्त अधिनियम, 1994, (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) के अंतर्गत संपूर्ण सेवा कर से मुक्त हैं तथा जिन सेवाओं पर वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 66ख के अधीन कोई भी सेवा कर लागू नहीं है।

यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2015 से प्रवृत्त होगी।

(फा सं0 354/129/2015-टीआरयू)

(के. कालिमुत्तु)  
अवर सचिव भारत सरकार

*Tarek*  
*K. Alimuttu*